


— : : आदेश : : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा खिंयाला के खाता संख्या 247 में खसरा नम्बर 2243/2035 रकबा 0.1659 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम चन्द्राराम पुत्र नरसाराम हिस्सा पूर्ण के स्थान पर चान्दुराम पुत्र लच्छाराम हिस्सा पूर्ण जाति नायक सा. काशीपुरा खातेदार दुरुस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 31/05/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।




(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)